न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : डॉ. सौम्या झा
आई०ए०एस०

अपील संख्या0 29/2026 (APS2012G280426242648)
कमलेश पुत्र जगदीश मीना निवासी मीणों की ढाणी, लाडपुरा वार्ड नं. 4 ग्राम पंचायत लाडपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

.......अपीलांट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट

.......रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 16.04.2026 (Ref. no.S20089O6N2603261200000) द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) लालसोट

उपस्थितः 1. अपीलान्ट स्वयं।

निर्णय   दिनांक 03.06.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम विधानसभा क्षेत्र लालसोट की भाग संख्या 225 ग्राम लाडपुरा में नाम जोडने संबंधी आवेदन (प्रपत्र 6–Ref. no.S20089O6N2603261200000) ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया था, जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा आदेश दिनांक 16.04.2026 को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज निम्नुनसार हैं:–
   - मतदाता पहचान पत्र संख्या **ZQV0103374** कमलेश पुत्र जगदीश प्रसाद, जिस पर पता मीणों की ढाणी, ग्राम लाडपुरा अंकित हैं। (**ईसीआई नेट पर उक्त ईपिक नम्बर वर्तमान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हैं।**)
   - आधार कार्ड कमलेश कुमार मीना संख्या 798417348589 जिस पर पता ग्राम लाडपुरा अंकित हैं।
   - बिजली का बिल के.नं. 210331050016 जिस पर पता ग्राम लाडपुरा अंकित हैं।
   - परिवार राशन कार्ड संख्या 007890000572 जिस पर ग्राम लाडपुरा ग्राम पंचायत चांदसेन अंकित हैं।
   - जमाबंदी खसरा संख्या 452/127 जो कि कमलेश कुमार पुत्र जगदीश सा. चांदसेन की हैं।
3. न्यायालय के पत्रांक 1614 दिनांक 03.05.2026 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट से अपीलान्ट कमलेश पुत्र जगदीश के निवास संबंधी तथ्यात्मक विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के क्रम में जांच रिपोर्ट पत्रांक 672 दिनांक 18.05.2026 द्वारा प्रेषित की गयी। जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार तथ्य प्राप्त हुए हैं:–

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न जांच अधिकारियों की मौका फर्द रिपोर्ट व अन्य टिप्पणी प्रस्तुत की हैं।
- बीएलओ भाग संख्या 225 (लाडपुरा) विधानसभा क्षेत्र लालसोटः– मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.05.2026 एवं संलग्न रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलार्थी का ग्राम लाडपुरा में निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान निवास अपने पैतृक मकान ग्राम चांदसेन में अपने परिजनों के साथ निवासरत बताया गया हैं।
- बीएलओ भाग संख्या 203 (चांदसेन) विधानसभा क्षेत्र लालसोटः– संलग्न रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायत पुनर्गठन से पूर्व अपीलार्थी का नाम विधानसभा क्षेत्र लालसोट के ग्राम चांदसेन की मतदाता सूची में दर्ज था। तद्नुसार ई–सूची से तैयार पंचायत मतदाता सूची 2026 में अपीलार्थी का नाम ग्राम पंचायत थलोज के राजस्व ग्राम चांदसेन की मतदाता सूची में दर्ज हैं।
- पटवार हल्का लाडपुरा एवं चांदसेन की संयुक्त रिपोर्ट में मौका फर्द रिपोर्ट में बताया गया कि कमलेश पुत्र जगदीश मीना का ग्राम लाडपुरा मोड पर निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान निवास अपने पैतृक मकान में अपने परिजनों के साथ ग्राम चांदसेन में बताया गया हैं।
- सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार लालसोट के पत्रांक 952 दिनांक 15.05.2026 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि कमलेश पुत्र जगदीश मीना का ग्राम लाडपुरा मोड पर निर्माणाधीन मकान हैं परन्तु वर्तमान में अपीलार्थी अपने परिजनों के साथ पैतृक मकान में अपने परिजनों के साथ ग्राम चांदसेन निवासरत हैं।

4- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की शर्तेः– Conditions of registration.--Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who — (a) is not less than 3[eighteen years] of age on the qualifying date, and
(b) is ordinarily resident in a constituency, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.

5. हमने अपीलांट की अपील एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एस.डी.एम. लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) लालसोट द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी का निवास अपने परिजनों के साथ पैतृक मकान में ग्राम चांदसेन बताया गया हैं। जबकि अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि वह वर्तमान में लाडपुरा में निवासरत है तथा उसका नाम लालसोट विधानसभा क्षेत्र की किसी भी मतदाता सूची में अंकित नहीं है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम लालसोट की रिपोर्ट एवं अपीलांट के कथनों में विरोधाभास है। अपीलांट को उसके मताधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

7\. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) लालसोट का निर्णय दिनांक 16.04.2026 को निरस्त किया जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। यह सुनिश्चित किया जावे कि अपीलांट अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे। निर्णय की प्रति पालनार्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम लालसोट को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official